न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **282/08 (वाद)**

1. श्री धन्ना पिता देवराज चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/1 श्री प्रभुलाल पिता धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/2 श्री लक्ष्मण पिता धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/3 श्री श्रवण पिता धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/4 श्रीमती श्यामो पुत्री धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/5 श्रीमती मोहनीबाई पत्नी धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री उदयलाल पिता भभूताजी नाई निवासी भीमल तह. मावली।
2. श्री रामलाल पिता भभुताजी नाई निवासी भीमल तह. मावली।
3. श्री भेरूदास पिता गंगाराम चारण निवासी भीमल तह. मावली।
4. श्रीमती देउबाई पत्नी लछमण पिता गंगाराम चारण निवासी भीमल तह. मावली
5. श्रीमती कंकुबाई पत्नी गंगाराम चारण निवासी भीमल तह. मावली।
6. श्रीमती जुमा पत्नी नारायण चारण निवासी भीमल तह. मावली।
7. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तह. मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री हिरालाल बुनकर, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

1. वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– मौजा गढवाडा पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 715, 717, 783 किता 3 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 716, 719, 720, 731, 732, 741, 784, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 कुल किता 16 रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान रेकार्ड में नाहरसिंह, प्रतापसिंह

पिता माधूसिंह राजपुत भेरूदास देउबाई कंकुबाई जुमा धना चारण के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हैं।

2. वादी एवं उसके परिवार का सजरा खानदान इस प्रकार हैं।

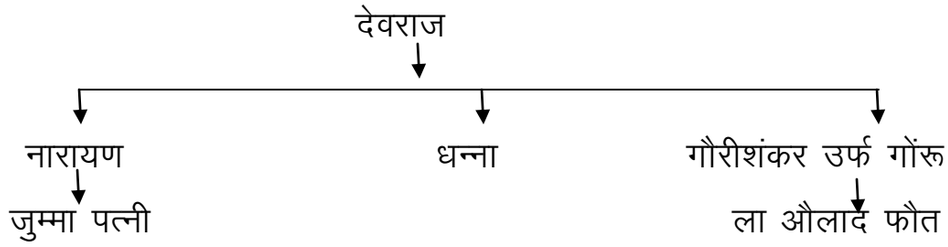

उपरोक्त सजरे अनुसार नारायण धना गोरू उर्फ गोरी शंकर तीनो सगे भाई होकर नारायण एवं गोरू का देहावसान हो गया नारायण की बजाए जुमा का नाम दर्ज हो गया तथा गोरीशंकर लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा जुम्मा एवं धन्ना के नाम दर्ज हो गया जो वर्तमान में दर्ज हैं।

3. वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं तथा प्रतिवादीयां श्रीमती जुम्मा का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं इसी अनुसार हम वर्षों से काबिज हैं खातेदार काश्तकार हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 उदयलाल एवं प्रतिवादी सं. 2 रामलाल दोनों दिनांक 1.10.2008 को उक्त आराजीयात पर आये तथा खडी फसल को काटने की धमकी दी तथा कहा कि गोरीशंकर से जमीन हमने खरीदी हैं इसलिए कब्जा करेगें। जबकि गोरीशंकर उर्फ गोरू दिनांक 10.03.2000 को ही फौत हो गया। यदि इन लोगों ने जब जमीन खरीद ली थी तो अब तक कब्जा क्यों नहीं किया तथा जमीन अपने नाम पर दर्ज क्यों नहीं करवाई। हमने पूछा तो जवाब दिया कि अब कब्जा करेगें तथा खाते भी अब करवायेगें।

4. प्रतिवादी सं. 1 व 2 जबरन कब्जा करने तथा हमारी जमीन को उनके नाम दर्ज कराने पर आमादा है जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया गया तो प्रतिवादी उक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर लेगें तथा उक्त वर्णित जमीन को अपने नाम म्यूटेशन खुलवा जमीन खाते करा लेगें। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को पांबद कराना जरूरी हैं कि वे उक्त जमीन में जबरन प्रवेश नहीं करें जमीन को अपने नाम दर्ज नहीं करावें, तहसीलदार मावली एवं हल्का पटवारी को पांबद किया जावें कि वे म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं करें।

5. वादकारण दिनांक 1.10.2008 को पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने हमारी उक्त जमीन में खडी फसल को काटने की धमकी दी व म्यूटेशन खुलवाने की धमकी दी उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. वादी का प्रथम दृष्टया मामला हैं। वादी जमीन का खातेदार काश्तकार हैं। जमीन पर काश्त कर रहा हैं, प्रतिवादी सं. 1 व 2 जबरन हमारी जमीन पर कब्जा करने पर आमादा है तथा म्यूटेशन खुलवाने पर आमादा हैं, जो गलत हैं। यदि प्रतिवादीगण को नहीं रोका गया तो वे जमीन को अपने नाम दर्ज करवा लेगें तथा तहसीलदार पटवारी म्यूटेशन की कार्यवाही कर देगें जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का नुकसान होने वाला नहीं हैं।
7. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पांबद किया जावे कि वे वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खेत खसरा न. 715, 717, 783 किता 3 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 716, 719, 720, 731, 732, 741, 784, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 किता 16 रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा में जबरन प्रवेश नहीं करें फसल को नुकसान नहीं पहुचांवे तथा जमीन को अपने नाम दर्ज नहीं करावें। प्रतिवादी तहसीलदार एवं पटवारी को पाबंद किया जावे कि वे उक्त जमीन के म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं करें। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उक्त जमीन पर कब्जा कर लेवें या पाया जावे तो वाद दायर की स्थिति को यथावत रखाया जावें।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4, 5 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। प्रतिवादी सं. द्वारा प्रकरण में जवाब मय काउन्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित आराजीयात के पूर्व के खातेदार गौरू पिता देवराज चारण निवासी भीमल गढवाडा ने उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि जिसका बंटवाडा तत्कालीन समय में सभी सह खातेदारों के मध्य हो चुका था और उक्त आपसी बंटवारानुसार गौरू के हिस्से की भूमि में से स्व. गौरू चारण ने आराजी नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि को बिल एवज् 3000/– तीन हजार रूपया में दिनांक 21.10.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया व तभी से उक्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज को काश्त कर रहे हैं और हमारे ही उपयोग उपभोग में है इसलिए वादीगण का उक्त कलम में यह अंकित करना कि दिनांक 1.10.08 को जमीन पर आये और फसल काटने की धमकी दी तथा

कब्जा करेगें अपने आप में हास्यस्पद है, उक्त भूमि पर हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 गत 29 वर्षों से लगातार निरन्तर बिना किसी बाधा के काबिज हो काश्त कर रहे हैं और हमारे ही उपयोग उपभोग में हैं। वर्णित भूमि में आराजी नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि को उक्त भूमि के सह खातेदार गौरू पिता देवराज चारण से 3000/– तीन हजार रूपया का प्रतिफल अदा कर दिया और स्व गौरू चारण ने उसी समय अर्थात् दिनांक 21.10.1980 को उक्त भूमि का कब्जा सिपुर्द किया व तभी से उक्त भूमि पर हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 काबिज हो काश्त कर रहे है व हमारे ही उपयोग उपभोग में है इसलिए उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं एवं न ही वादीगण हमारे विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा ही जारी करावाने के अधिकारी हैं।

9. वादपत्र की कलम सं. 6 गलत होकर अस्वीकार हैं। वादीगण को हमारे विरूद्व दिनांक 01.10.08 को या कभी भी कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं।

10. वादीगण का न तो प्रथम दृष्टया मामला है न ही सुविधा संतुलन ही इनके पक्ष में हैं और न ही इनको किसी किस्म की अशोधनिय क्षति ही हो रही है क्योंकि उक्त कलम संख्या एक में वर्णित भूमि को सह खातेदार गौरू पिता देवराज चारण निवासी भीमल गढवाडा ने दिनांक 21.10.1980 को 3000/– तीन हजार रूपया का प्रतिफल प्राप्त कर उक्त भूमि में से अपने हिस्से व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसके पडोस पूर्व में नानजी गुर्जर की जमीन, पश्चिम में कुंए का, उत्तर में गंगाराम चारण का एवं दक्षिण में गौरू चारण के भाइयों की जमीन का। उक्त चारों पडोसों के मध्य की जमीन का गौरू चारण ने हमें कब्जा सिपूर्द किया व तभी से अर्थात् गत करीबन 29 वर्षों से लगातार निरन्तर हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है व हमारे ही उपयोग उपभोग में है इसलिए वादीगण हमारे विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है न ही हमारे विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा की प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादपत्र मयाद से बाहर हैं क्योंकि उक्त भूमि हम प्रतिवादीगण नें जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.1980 को उक्त भूमि के सह खातेदार स्व. गौरू पिता देवराज चारण के हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि में से उसके हिस्से एवं कब्जे की भूमि आराजी खसरा न. 791 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कों क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसकी जानकारी वादीगण को अपने पिता के जीवनकाल से ही हैं और इतने लम्बे अर्से में अर्थात् गत करीबन 29 वर्षों में कभी

भी हमारे कब्जे को लेकर विवाद नहीं किया और चूंकि वर्तमान में जमीनों के भाव बढ चुके हैं इसलिए इस मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत वाद की आड में हमारी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी जमीन जिसके पडोस कलम संख्या 7 में अंकित है पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर उतारू हैं इसलिए वाद मियाद से बाहर हैं। वादीगण हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं न ही कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है न ही किसी प्रकार की निषेधाज्ञा ही प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि में से आराजी नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि को उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि के सह खातेदार गौरू पिता देवराजजी चारण निवासी भीमल गढवाडा ने दिनांक 21.10.1980 को 3000/– तीन हजार रूपया में अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से में आई उक्त आराजी न0 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा को हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विक्रय कर विक्रय पत्र हमारे पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया और तभी से उक्त भूमि जिसके पडोस पूर्व में नानजी गुर्जर की जमीन, पश्चिम में कुंए का रास्ता तथा उत्तर में गंगारामजी की जमीन का एवं दक्षिण में गौरू चारण के भाइयों की जमीन का उक्त चारों पडोसों के मध्य की भूमि पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी हमारे ही कब्जे उपयोग में हो प्रति वर्ष फसल बो व काट रहे है इसलिए इस काउन्टर क्लेम के जरिए हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के विरूद्व इस अमर की निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि वादीगण उक्त कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसके पडोस उपर अंकित किये हैं में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न कब्जा करे और हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वंय करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें और उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हमारे नाम पर घोषित फरमाई जाकर स्वंतत्र रूप से अंकन फरमाई जावें इस अमर की डिक्री न्यायहित में जारी फरमाई जावें।

12. अतः प्रार्थना है कि हम प्रतिवादी सं. 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर उक्त कलम सं. 1 में वर्णित भूमि में से हमारी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी आराजी खसरा न. 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि को हमारे नाम पर

घोषित फरमा स्वतंत्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन फरमाई जावे एवं वादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो हमारी उक्त खरीदसुदा व कब्जेसुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें न कब्जा करें और हमें शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वंय उत्पन्न करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

13. प्रकरण में वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 18.11.2015 को खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2 का काउन्टर क्लेम होने से पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से सुनवाई की गई। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 से 6 के विरूद्व कोई दाद नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रॉप किया गया।
14. प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन मे दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श 1 एवं जमाबन्दी नकल प्रदर्श 2 पेश की गई।
15. प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी गवाह शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री उदयलाल का पेश किया गया।
16. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की एकतरफा बहस सुनी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाने का पेश किया गया था, जो वादी की अनुपस्थित में दिनांक 18.11.2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा वाद वर्णित भूमि में से आराजी नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि को खातेदार गोरू पिता देवराज चारण से दिनांक 21.10.1980 को 3000/– रूपयें में 1/3 हिस्सा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 1 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं। रजिस्ट्री दिनांक से मौके पर प्रतिवादी सं. 1, 2 का कब्जा होना बताया हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 वर्णित भूमि के वर्ष 1980 में खरीदी गई है लेकिन भूमि नाम पर दर्ज नहीं हुई हैं चूंकि प्रतिवादी सं. 1, 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय करने से सद्भावी क्रेता हैं एवं खातेदार गौरू की मृत्यु दिनांक 10.03.2000 को हो गई हैं। गौरू के लाऔलाद फौत होने से विरासत से भूमि वारिसान के नाम दर्ज हो गई हैं। अतः प्रतिवादी सं. 1, 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि पुनः अपने

नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गढवाडा पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.1980 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1, 2 को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री धन्ना पिता देवराज चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/1 श्री प्रभुलाल पिता धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/2 श्री लक्ष्मण पिता धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/3 श्री श्रवण पिता धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/4 श्रीमती श्यामो पुत्री धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।
1/5 श्रीमती मोहनीबाई पत्नी धनाजी चारण निवासी गढवाडा तह. मावली।.....वादीगण

बनाम्

1. श्री उदयलाल पिता भभूताजी नाई निवासी भीमल तह. मावली।
2. श्री रामलाल पिता भभुताजी नाई निवासी भीमल तह. मावली।
3. श्री भेरूदास पिता गंगाराम चारण निवासी भीमल तह. मावली।
4. श्रीमती देउबाई पत्नी लछमण पिता गंगाराम चारण निवासी भीमल तह. मावली
5. श्रीमती कंकुबाई पत्नी गंगाराम चारण निवासी भीमल तह. मावली।
6. श्रीमती जुमा पत्नी नारायण चारण निवासी भीमल तह. मावली।
7. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तह. मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली। .....प्रतिवादीगण

प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 282/08 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गढवाडा पटवार हल्का बांसलिया की आराजी नम्बर 731 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.10.1980 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1, 2 को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली